अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 24–35 / 2013

रेणु कुमारी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय, सहरसा के वाद संख्या 61 / 12–13 में दिनांक 27.09.12 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में अपीलवाद दायर किया गया जो स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है ।

संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 25.08.12 को जिला प्रोग्रमा पदाधिकारी, सहरसा द्वारा लगभग 10.40 बजे पूर्वाहन में मोहनपुर पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र मदनपुर केन्द्र सं0– 82 परियोजना सिमरी बख्तियारपुर का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के क्रम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ / त्रुटियॉ पाई गई :–

1. ऑगनबाड़ी केन्द्र पर 19 बच्चे उपस्थित थे जिनमें से 09 बच्चे फर्जी थे । उनका नाम प्राथमिक विद्यालय ठाकुरबाड़ी में दर्ज है
2. पोषाहार नहीं बन रहा था ।
3. ऑगनबाड़ी केन्द्र पर लाभुकों की सूची, मेनु चार्ट टंगा हुआ नहीं था ।
4. सेविका अपने घर में केन्द्र का संचालन करती है ।
5. महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण के विभिन्न तिथियों में उपस्थिति विवरणी में बच्चों की संख्या में काफी असमानता पाई गई ।

ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितताएँ / त्रुटियों के

संबंध में उक्त केन्द्र के ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती रेणु कुमारी एवं महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती रीता कुमारी से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के ज्ञापांक 1375–1 दिनारंक 30.08.12 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने तथा निर्धारित सुनवाई की तिथि दिनांक 07.09.12 को निम्न न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिश दिया गया ।

दिनांक 07.09.2012 को सुनवाई की गई । सुनवाई में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका एवं श्रीमती रेणु कुमारी, ऑगनबाड़ी सेविका उपस्थित हुई । महिला पर्यवेक्षिका एवं ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई । निम्न न्यायालय, सहरसा द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया ।

ऑगनबाड़ी अपीलवाद के सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी पर लगाए गए प्रथम आरोप के संबंध में कथम करते हैं कि ऑगनबाड़ी केन्द्र पर 19 बच्चे थे जिनमें से 09 बच्चे प्राथमिक विद्यालय ठाकुरबाड़ी के विद्यार्थी थे जो वर्षा होने के कारण भींगने से बचने के लिए ऑगनबाड़ी केन्द्र में शरण लिए हुए थे । वर्षा समाप्त होने पर वे अपने स्कूल चले गये । अतएव अपीलार्थी पर लगाए गए प्रथम आरोप सही नहीं है ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आरोप संख्या 02 एवं 03 के संबंध में विवेचना करते हुए बहस करते है कि सुबह लगभग 7.00 बजे पूर्वाहन् में मौसम खराब होने एवं वर्षा होने के कारण केन्द्र पर बच्चों की उपस्थिति कम थी तथा वर्षा खत्म होने पर 11.00 बजे पूर्वाहन् में 22 बच्चे केन्द्र पर पहुँच गए थे । विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते है कि मौसम खराब रहने के कारण पोषाहार बनाने में थोड़ा विलम्ब हुआ परन्तु 11.00 बजे पूर्वाहन् में बच्चों को पोषाहार बनाकर खिलाया गया । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि केन्द्र पर लाभुकों की सूची, साप्ताहिक मीनू चार्ट एवं लाभार्थियों की सूची कील में टांग दिया गया था परन्तु वर्षा होने के कारण इसे नहीं फैलाया गया था।

आरोप संख्या 04 के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि अपीलार्थी ऑगनबाड़ी केन्द्र अपने घर पर संचालन नहीं करती है । केन्द्र जहॉ पर संचालित की जा रही है वह उनके भाई का घर है । अपीलार्थी के भाई पिताजी के साथ अलग रहता है उनसे भाड़े पर घर लिया गया है । अतः अपीलार्थी पर लगाए गए चौथे आरोप भी सही नहीं है ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आरोप संख्या 05 अपीलार्थी से संबंधित नहीं है । विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी पर लगाऐ गए आरोपों पर उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक परिस्थितिजन्य केन्द्र संचालन में थोड़ा व्यवधान हुआ है जिसके लिए अपीलार्थी क्षमा प्रार्थी है तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो इस पर सजग रहेंगे । अतएव निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द कर अपीलार्थी का सेवा पुनः बहार करने का असीम कृपा की जाय ।

ऑगनबाड़ी अपीलवाद के सुनवाई के क्रम में सरकारी पक्ष की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता पक्ष रखते हुए कथन करते हैं कि ऑगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम पायी गयी है । केन्द्र पर पोषाहार नहीं बनाया जा रहा था जबकि नियम समय पर ही बच्चों को पोषाहार दिया जाना है । लिपिबद्ध लाभुकों की सूची , साप्ताहिक मेनु चार्ट

केन्द्र पर टंगा होना चाहिए परन्तु केन्द्र पर इस प्रकर की कोई व्यवस्था जॉच पदाधिकारी द्वारा नहीं पाया गया तथा ऑगनबाड़ी केन्द्र भी अपने परिवार के सदस्यों के घर में ही संचालित किया जाता था । वरीय पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा केन्द्र संचालन में लापरवाही करने एवं कर्त्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते पायी गयी है । अतएव निम्न न्यायालय द्वारा पारित की गई आदेश सही एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का सुक्ष्म अवलोकन किया । अभिलेख के सभी कागाजत एवं सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अस्तु निम्न न्यायालय आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है । अपीलवाद अस्वीकृत । इसी के साथ अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।